

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या-2389/ एसएलएसए 83/2025 (संदीप (आरआई) दिनांकित- जुलाई 30, 2025 के द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने व न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय, अमरोहा में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के पैनल गठन करना है, जिसके लिए निम्न अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति/ अधिवक्ता /सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश /सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 05.08.2025 नियत है। पात्र आवेदकों की सूची दिनांक 06.08.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे तक न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा साक्षात्कार उसी दिन दिनांक 06.08.2025 को सांय 4:30 बजे से मीटिंग हाल, जनपद न्यायालय, अमरोहा में लिया जायेगा।

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो ।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिक क्षेत्र से सुपरिचित हों।

उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा में दिनांक 05.08.2025 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर, रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट से जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सूचना/आवेदन का प्रारूप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाईट <https://www.allahabadhighcourt.in/> या जिला न्यायालय अमरोहा के वेबसाईट - <https://amroha.dcourts.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा।
1.8.25 जनपद-अमरोहा

प्रतिलिपि:

1. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (I) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय, अमरोहा की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने की कृपा करें।
3. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारात, दीवानी न्यायालय, अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जिला न्यायालय, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद अमरोहा की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने का कष्ट करें।
5. सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को प्रेषित कि उक्त सूचना स्थानीय परिचालन वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए पेपर की कटिंग इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. प्रभारी अधिकारी नजारात, कलेक्ट्रेट अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना कलेक्ट्रेट अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष/ सचिव, जनपद बार एसोसिएशन अमरोहा व सिविल बार एसोसिएशन, अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद बार एसोसिएशन अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
8. अध्यक्ष सचिव / बार एसोसिएशन वाह्य न्यायालय, हसनपुर व धनौरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना बार एसोसिएशन, हसनपुर व धनौरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
9. नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा पर चस्पा की जाये ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमरोहा।
जनपद-अमरोहा

अनुसूची एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र(जनपद अमरोहा)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम.....
2. पिता का नाम
3. पता:
(क)- कार्यालय.....
(ख)- निवास.....
4. दूरभाष संख्या :
(क) कार्यालय.....
(ख) निवास.....
5. मोबाईल नम्बर:
(क) कार्यालय.....
(ख) निवास
6. ई-मेल आईडी.....
7. शैक्षणिक अर्हताएं.....
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव.....
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो.....
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक.....
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है-?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है या विकृतचित का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं..... एतद्वारा निवेदन करता / करती हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता/ देती हूँ। यह आश्वासन देता/देती हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा/करूँगी। मैं, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक.....

स्थान.....

पूर्ण हस्ताक्षर

नोट- 1. आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक पहचान पत्र/आधार कार्ड व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जिला बार काउन्सिल के परिचय पत्र की स्वः प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें।

Schedule-I
MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE(District Amroha)
(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

1. Name:

2. Father's Name:

Self attested
Photograph
to be affixed

3- Address

(a) Office

(b) Residence

4. Telephone No.:

(a) Office

(b) Residence

5. Mobile No.:

(a) Office

(b) Residence

6. E-mail Id:

7. Academic Qualifications:

8. Professional Qualifications and Experience:

9. Technical experience, if any:

10. Special qualification or experience in Mediation, if any:

11. Bar Council Enrollment Number with date:

(applicable only to advocates)

12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you
in any Court? :

13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :

14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of
unsound mind?

15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by
the disciplinary authority, or whether you have been punished in such
disciplinary proceedings?:

I..... do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator..... in Judgeship and give my consent for being empanelled under Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date: